



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (सि.पारे), छत्तीसगढ़ पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत ग्राम नेलवाड़ा में 220/132 के. व्ही विद्युत उप केन्द्र स्थापित करने हेतु 4.06 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 05/10/2016

स्थान: रायपुर

(बी. लल सरन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ संघीय बोर्ड संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर